कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 09/04/2021

पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के पश्यात सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये गये हैं। प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री नितेश प्रताप सिंह सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज व सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय श्री ज्ञानप्रकाश राय को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में उत्तरदायित्व दिया जाता है।

उपरोक्त सन्दर्भ में **रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्य द्वार के निकट अस्थायी न्यायालय की स्थापना** की गई है। न्यायालय परिसर में वाराणसी नगर में सीआरपीसी के अध्याय 8 से सम्बन्धित धाराओं के तहत न्यायालय प्रक्रिया को संपादित करते हुए कार्यवाहियाँ की जायेंगी, जिसके अन्तर्गत अध्याय 8 के अधीन दण्ड प्रक्रिया संहिता से सम्बन्धित माननीय न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यवाही को सम्पादित किया जायेगा। न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट के उत्तरदायित्व स्वरूप **श्री नितेश प्रताप सिंह सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज द्वारा वाराणसी नगर (काशी क्षेत्र) के समस्त थानान्तर्गत की कार्यवाही दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करते हुए न्यायालय के उत्तरदायित्वों का निष्पादन किया जायेगा** तथा इसी प्रकार **श्री ज्ञान प्रकाश राय सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में वाराणसी नगर (वरूणा क्षेत्र) के थानान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करते हुए न्यायालय के उत्तरदायित्वों का निष्पादन किया जायेगा।**

मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त
वाराणसी।